



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082025-265195
CG-DL-E-04082025-265195

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3475]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2025/श्रावण 10, 1947

No. 3475]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2025/SHRAVANA 10, 1947

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2025

का.आ. 3561(अ).—विद्युत अधिनियम, 2003 (जिसे आगे इस अधिसूचना में अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सां.आ. 550 (अ), दिनांकित 18 अप्रैल, 2006 को, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या विलोपित की जाने वाली संबंधित बातों को छोड़कर, अधिक्रमित करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचना जारी करती है, अर्थात्:—

1. जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों की स्थापना की स्कीमों, जिनमें अनुमानित पूंजीगत व्यय तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक हो, के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति की आवश्यकता होगी:

बशर्ते कि ऑफ-स्ट्रीम बंद लूप पंड भंडारण स्कीमों को, पूंजीगत व्यय की मात्रा कोई भी हो, प्राधिकरण की सहमति की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।

बशर्ते यह भी कि छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाली स्कीमों के लिए विकासकर्ता प्राधिकरण से तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगा।

2. पैराग्राफ (1) में उल्लिखित विकासकर्ता को राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

[फा.सं. 15-23/3/2021-हाइडल-II]

मोहम्मद अफ़ज़ल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st August, 2025

S.O. 3561(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Electricity Act, 2003 (here after in this notification referred to as the Act) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Power, S.O. 550(E), dated the 18th April, 2006 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby issues the following notification, namely:—

(1) Schemes for setting up of hydro generating stations, involving an estimated capital expenditure exceeding rupees three thousand crores shall require the concurrence of the Central Electricity Authority:

Provided that off-stream closed-loop pumped storage schemes, irrespective of the quantum of capital expenditure, shall be exempted from the requirement of concurrence by the Authority:

Provided also that for the schemes falling under the exempted category, the developer may seek technical guidance from the Authority.

(2) The developer referred to in paragraph (1) shall ensure adherence to the provisions of the National Dam Safety Act, 2021.

[F.No. 15-23/3/2021-Hydel-II]
MOHAMMAD AFZAL, Jt. Secy.